मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XX अंक 2 मई 2024

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. विनियमन	1-2
II. फिनटेक	2
III. वित्तीय बाजार	2
IV. विदेशी मुद्रा	2
V. पर्यवेक्षण	3
VI. मुद्रा जारीकर्ता	3
VII. सांख्यिकी एवं सूचना	3
VIII. प्रकाशन	3
IX. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा मई 2024 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली
संपादक

I. विनियमन

यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारकों के साथ बैठक

गवर्नर ने यूपीआई की पहुंच को और बढ़ाने के लिए संभावित कार्यनीतियों पर चर्चा करने हेतु 8 मई 2024 को यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारकों, यथा, बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), तृतीय पक्ष एप्लिकेशन प्रदाता और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उप गवर्नर, श्री टी. रबी शंकर के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

यूपीआई को अपनाने और उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गई, हितधारकों ने कतिपय मुख्य क्षेत्रों: यूपीआई अवसंरचना को सुदृढ़ करने और उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाने संबंधी कार्यनीतियाँ, पारिस्थितिकी तंत्र के सामने आने वाली चुनौतियाँ और उन्हें दूर करने के लिए नवीन समाधान; तथा, संभावित उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने के लिए नवोन्मेषी विचार पर अपने बहुमूल्य इनपुट और सुझाव साझा किए। रिज़र्व बैंक इन सुझावों की जांच करेगा और यथासमय इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 मई 2024 को मुंबई में चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का विषय था 'आघात-सहनीय वित्तीय प्रणाली - प्रभावी आश्वासन कार्यों की भूमिका'। उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. ने जोखिमों के प्रबंधन और एनबीएफसी परिचालनों में पारदर्शिता, अभिशासन और आघात-सहनीयता सुनिश्चित करने में सुदृढ़ आश्वासन कार्यों के महत्व पर जोर दिया। सम्मेलन में तकनीकी सत्र और सर्वोत्तम पद्धतियों पर प्रस्तुतियाँ शामिल थीं, जिसका समापन आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवादात्मक बातचीत के साथ हुआ। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 मई 2024 को मुंबई में चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में 120 से अधिक यूसीबी के लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन का विषय था 'आघात-सहनीय वित्तीय प्रणाली - प्रभावी आश्वासन कार्यों की भूमिका'। उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. ने सक्रिय जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, प्रभावी और स्वतंत्र आश्वासन कार्यों के महत्व पर जोर दिया। सम्मेलन में तकनीकी सत्र शामिल थे और प्रतिभागियों और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच संवादात्मक बातचीत के साथ समापन हुआ। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के निदेशकों और एमडी/ सीईओ के लिए सम्मेलन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 मई 2024 को मुंबई में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के निदेशकों और एमडी/सीईओ के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सभी 27 एआरसी के 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 'एआरसी में अभिशासन - प्रभावी संकल्पों की दिशा में' विषय पर यह कार्यक्रम, रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का एक हिस्सा था। उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. ने मजबूत अभिशासन, नैतिक आचरण और विनियमों के अनुपालन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सुदृढ़ कारोबार मॉडल स्थापित करने में बोर्ड की भूमिका, पारदर्शी वसूली पद्धतियों की आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। सम्मेलन में नियामक पहलुओं पर तकनीकी सत्र और आरबीआई के कार्यपालक निदेशकों के साथ एक संवादात्मक सत्र शामिल था। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 608वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 608वीं बैठक 22 मई 2024 को मुंबई में गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास की अध्यक्षता में आयोजित की।

बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की, जिसमें संभावना के लिए जोखिम भी शामिल हैं। बोर्ड ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर भी चर्चा की और वर्ष 2023-24 के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी। बोर्ड ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹2,10,874 करोड़ के अंतरण को मंजूरी दी। बोर्ड ने लेखा वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के बजट को भी मंजूरी दी।

उप गवर्नर डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामिनाथन जे. और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक - श्री सतीश के. मराठे, श्रीमती रेवती अय्यर, श्री आनंद गोपाल महिंद्रा, श्री वेणु श्रीनिवासन, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया ने बैठक में भाग लिया। श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और डॉ. विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग ने भी बैठक में भाग लिया।

कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए विवेकपूर्ण ढांचा –दिशानिर्देश का मसौदा

रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2024 को परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए विवेकपूर्ण ढाँचे पर एक मसौदा दिशानिर्देश जारी किया। संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य परियोजना वित्त की जटिलताओं और जोखिमों को संबोधित करते हुए विनियमित संस्थाओं के लिए एक सक्षम ढाँचा प्रदान करना है। मसौदा दिशानिर्देशों पर जन सामान्य और हितधारकों की टिप्पणियाँ 15 जून 2024 तक आमंत्रित की गई हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पंजीकरण प्रमाणपत्र

15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उन्हें जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण कर दिया है। अतः,आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके सीओआर को रद्द कर दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. फ़िनटेक

प्रवाह (PRAVAAH), आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन औरफिनटेक रिपॉज़िटरी का लोकार्पण

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने 28 मई 2024 को तीन प्रमुख पहल अर्थात्, प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉज़िटरी का लोकार्पण, रिज़र्व बैंक, बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थाओं के गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। इन पहल की घोषणा पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर द्विमासिक वक्तव्य में क्रमशः अप्रैल 2023, अप्रैल 2024 और दिसंबर 2023 में की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रवाह पोर्टल के माध्यम से विनियामक अनुमोदन को सुव्यवस्थित करना, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और फिनटेक रिपॉजिटरी के माध्यम से भारतीय फिनटेक क्षेत्र की समझ को बढ़ाना है। प्रवाह पोर्टल विनियामक अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे अनुमोदन प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार होगा, जबकि रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन तक पहुंच को आसान बनाएगा। फिनटेक रिपॉजिटरी, विनियामक उद्देश्यों के लिए भारतीय फिनटेक क्षेत्र पर व्यापक जानकारी प्रदान करेगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

फिनटेक क्षेत्र के स्व-विनियामक संगठन(नों) को मान्यता देने के लिए रूपरेखा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है, जो स्व-विनियमन और उच्च मानकों के अनुपालन को प्रोत्साहित करता है। पात्र गैर-लाभकारी संस्थाएँ, जो फिनटेक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करती है, सुदृढ़ अभिशासन का प्रदर्शन करती हैं और नैतिक पद्धतियों को बढ़ावा देती हैं, वे आवेदन कर सकती हैं। आवेदन में अभिशासन संबंधी विवरण, वित्तीय विवरण और क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के साक्ष्य शामिल होने चाहिए। आरबीआई उन आवेदनों की समीक्षा करेगा और अपनी वेबसाइट पर पात्र संस्थाओं के नाम प्रकाशित करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. वित्तीय बाजार

मास्टर निदेश – केन्द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 मई 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45डब्ल्यू और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सक्षमकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए डेरिवेटिव (एनसीसीडी) हेतु विचरण मार्जिन (वीएम) और प्रारंभिक मार्जिन (आईएम) के विनिमय हेतु निदेश जारी किए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. विदेशी मुद्रा

मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों पर अनुदेश

रिज़र्व बैंक ने 27 मई 2024 को मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों पर एफ़ईडी मास्टर निदेश संख्या 3/2015-16 को अद्यतन किया, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, जिसके तहत संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) और गैर-बैंक अधिकृत डीलरों (एडी) श्रेणी-II को, खरीदे गए विदेशी मुद्रा नोटों का कम से कम 75% तिमाही आधार पर जनता को बेचना आवश्यक होगा। उन्हें लेखा-परीक्षा के लिए डेटा बनाए रखना होगा और हर वर्ष 31 अक्तूबर तक आरबीआई को अपना वार्षिक लेखा परीक्षित तुलन पत्र और निवल स्वाधिकृत निधि (नेट ओन्ड फंड) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। ये अपडेट विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत जारी किए जाते हैं और इन बदलावों को दर्शाने के लिए मास्टर निदेश को संशोधित किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

प्राधिकृत डीलर बैंक – एचएसबीसी लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई

रिज़र्व बैंक ने 29 मई 2024 को फेमा 1999 की उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का उल्लंघन करने के लिए एचएसबीसी लिमिटेड पर ₹36,38,000 का मौद्रिक दंड लगाया। कारण बताओ नोटिस के बाद, आरबीआई ने बैंक के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों की समीक्षा करने के बाद उल्लंघन को प्रमाणित पाया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. पर्यवेक्षण

मौद्रिक दंड

रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं पर मई 2024 के महीने में मौद्रिक दंड लगाया।

संस्था का नाम	मौद्रिक दंड की राशि
एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड	₹ 88.70 लाख
भारती सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	₹ 20.00 लाख
दि ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	₹ 25.00 लाख
यस बैंक लिमिटेड	₹ 91.00 लाख
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	₹ 1.00 करोड़
हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड	₹ 3.10 लाख
दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बदायूं	₹ 7.00 लाख
कर्नाटक बैंक लिमिटेड	₹ 59.10 लाख
दि सुटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात	₹ 5.00 लाख
दि वैजापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वैजापुर, महाराष्ट्र	₹ 2.50 लाख
बेलस्टार माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड, चेन्नई	₹ 3.10 लाख
नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	₹ 2.50 लाख
लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र	₹ 5.00 लाख
दि सातारा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	₹ 2.00 लाख
दि भदोही अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भदोही, उत्तर प्रदेश	₹ 2.00 लाख
दि बापुनगर महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात	₹ 1.00 लाख
दि गांधीनगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गांधीनगर, गुजरात	₹ 1.00 लाख

ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई

रिज़र्व बैंक ने 29 मई 2024 को एडलवाइस समूह की दो संस्थाओं, ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड (ईसीएल) और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसीएल) पर कारोबारी प्रतिबंध लगाए। ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड (ईसीएल) को अपने सामान्य कारोबार के दौरान चुकौती और/ या खातों को बंद करने के अलावा, अपने थोक एक्सपोज़र के संबंध में किसी भी संरचित लेनदेन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना एवं उसे बंद करना होगा। एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसीएल) को प्रतिभूति रसीदों (एसआर) सहित वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण करने तथा मौजूदा एसआर को अधिमानी और गौण शृंखला में पुनर्गठित करने पर रोक लगाना एवं उसे बंद करना होगा। संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बातचीत के बावजूद, सार्थक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आरबीआई के प्रतिबंध लगाए गए। आरबीआई ने दोनों कंपनियों को अपने अनुपालन कार्यों को मजबूत करने का निदेश दिया है, जिसमें पाई गई कमियों के संतोषजनक सुधार के बाद प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. मुद्रा जारीकर्ता

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वापस लेना

रिज़र्व बैंक ने 3 जून 2024 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने की स्थिति जारी की। आंकड़ों के अनुसार, 31 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक संचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य घटकर ₹7755 करोड़ रह गया। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों में से 97.82% वापस आ चुके हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. सांख्यिकी और सूचना

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा (आईटीईएस) निर्यात पर सर्वेक्षण: 2023-24

रिज़र्व बैंक ने 3 जून 2024 को 2023-24 अवधि के लिए कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा (आईटीईएस) निर्यात पर अपना वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया। यह सर्वेक्षण कंप्यूटर सेवाओं के निर्यात, आईटीईएस और कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) पर आंकड़े एकत्रित करता है, इसके परिणाम सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित करता है और भारत के बाहरी क्षेत्र के आँकड़ों में योगदान देता है। सभी सॉफ़्टवेयर और आईटीईएस/ बीपीओ निर्यात करने वाली संस्थाओं द्वारा आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध अद्यतन प्रारूप के साथ सर्वेक्षण अनुसूची को भरा जाना आवश्यक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सर्वेक्षण अनुसूची का सॉफ्ट फॉर्म 15 जुलाई 2024 तक ईमेल के माध्यम से भरा और प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे विनियामक रिपोर्टिंग और डेटा संकलन में सुविधा होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

म्यूच्युअल फंड और आस्ति प्रबंधन कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों पर सर्वेक्षण: 2023-24

रिज़र्व बैंक ने 3 जून 2024 को 'म्यूचुअल फंड और आस्ति प्रबंधन कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों' पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण के 2023-24 दौर की शुरुआत की। इस सर्वेक्षण में हाल के वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में म्यूचुअल फंड कंपनियों और आस्ति प्रबंधन कंपनियों से उनकी बाह्य वित्तीय देयताओं और आस्तियों पर जानकारी एकत्र की जाती है। सर्वेक्षण के परिणाम सार्वजनिक डोमेन में जारी किए जाते हैं और भारत के बाहरी क्षेत्र के सांख्यिकी में उपयोग किए जाते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. प्रकाशन

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन पर छमाही रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 13 मई 2024 को पारदर्शिता और प्रकटीकरण के स्तरों को बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयासों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी की। वर्तमान रिपोर्ट (शृंखला में 42वीं) मार्च 2024 के अंत तक की स्थिति के संदर्भ में है। रिपोर्ट को दो भागों में विभाजित किया गया है: भाग I में समीक्षाधीन छमाही के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की गतिविधि, आरक्षित निधियों की तुलना में बाह्य देयताओं की जानकारी, आरक्षित निधियों की पर्याप्तता आदि के विकास शामिल हैं। आरक्षित निधियों के प्रबंधन के उद्देश्य, सांविधिक प्रावधान, जोखिम प्रबंधन पद्धतियों, आरक्षित निधियों के प्रबंधन के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई पारदर्शिता और प्रकटीकरण पद्धतियों की जानकारी भाग II में शामिल की गई है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति

रिज़र्व बैंक ने 9 मई 2024 को श्री आर. लक्ष्मीकांत राव को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले, श्री राव विनियमन विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। श्री राव के पास भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंकों और एनबीएफसी के विनियमन, बैंकों के पर्यवेक्षण तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्रों में कार्य करने का तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने रिज़र्व बैंक चेन्नई में बैंकिंग लोकपाल और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य किया है।

कार्यपालक निदेशक के रूप में, श्री राव 1. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, 2. सूचना का अधिकार अधिनियम (एफएए), 3. संचार विभाग का कामकाज संभालेंगे।

वार्षिक रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 30 मई 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53 (2) के अंतर्गत वर्ष 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट इसके केंद्रीय निदेशक मंडल की एक सांविधिक रिपोर्ट है। इसमें अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के कामकाज और कार्यपद्धति को शामिल किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट की प्रमुख बातें निम्नवत हैं:

i) रिपोर्ट में चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए सकारात्मक आर्थिक संभावना का संकेत है। तथापि, इसमें उल्लेख किया गया है कि जलवायु संबंधी जोखिम मुद्रास्फीति और संवृद्धि के लिए अनिश्चितता उत्पन्न कर सकते हैं।

ii) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी संवृद्धि दर 7% पर मजबूत रहने का अनुमान है। यह संवृद्धि मजबूत निवेश मांग, बैंकों और निगमों के मजबूत तुलन-पत्र और पूंजीगत व्यय पर केंद्रित प्रभावी सरकारी नीतियों द्वारा समर्थित है।

iii) बैंकों में अदावी जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष 26% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो मार्च 2024 के अंत तक ₹78,213 करोड़ तक पहुंच गई। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इन अदावी जमाराशियों के प्रबंधन और उन्हें कम करने में मदद करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

iv) रिज़र्व बैंक की निवल आय बढ़कर ₹2.11 लाख करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज में उल्लेखनीय वृद्धि है। केंद्रीय बैंक का तुलन-पत्र 11.08% बढ़कर 31 मार्च 2024 तक ₹70.48 लाख करोड़ तक हो गया।

v) विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई अंतर्वाह में उल्लेखनीय गिरावट आई, जो 18% घटकर 9.3 बिलियन डॉलर रह गया। भारत में कुल एफडीआई अंतर्वाह पिछले वित्तीय वर्ष के 46 बिलियन डॉलर से थोड़ा कम होकर 44.4 बिलियन डॉलर रह गया।

vi) बैंक धोखाधड़ी की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष 166% की नाटकीय वृद्धि हुई है, वित्तीय वर्ष 24 में 36,075 से अधिक मामले दर्ज किए गए। लेकिन कुल बैंक धोखाधड़ी में शामिल राशि पिछले वर्ष के 26,127 करोड़ रुपये से लगभग आधी (46.7 प्रतिशत की कमी) घटकर 13,930 करोड़ रुपये हो गई।

vii) जबकि वित्तीय सेवाओं और खुदरा सहित कई क्षेत्रों में एफडीआई में कमी आई, वहीं विद्युत पारेषण और उत्पादन क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह में पर्याप्त वृद्धि देखी गई।

viii) संवृद्धि और मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिए नीतिगत रेपो दर को 4.75% पर समायोजित करते हुए रिज़र्व बैंक ने सतर्क रुख बनाए रखा। चलनिधि प्रबंधन पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि अधिकता से बचते हुए पर्याप्त प्रणाली चलनिधि सुनिश्चित की जा सके।

ix) प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय 2023-24 में बढ़कर ₹5,101.4 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष में ₹4,682.8 करोड़ था, जो उच्चतर उत्पादन और सुरक्षा उपायों को दर्शाता है।

रिज़र्व बैंक – वर्किंग पेपर

रिज़र्व बैंक ने मई 2024 के महीने में निम्नलिखित वर्किंग पेपर जारी किया: अमर नाथ यादव, विवेक कुमार, आलोक कुमार चक्रवाल और ज्योति कुमारी द्वारा 3 मई 2024 को प्रकाशित आवासीय ऋण गतिकी पर समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों के प्रभाव का आकलन: भारत से साक्ष्य। समष्टि-विवेकपूर्ण (एमएपी) नीतियों का मुख्य उद्देश्य पूर्व-निवारक विनियामक उपायों के माध्यम से बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना है, जिसका उद्देश्य तेजी के दौरान बनाए गए बफ़र्स का उपयोग करके ऋण चक्र के पतन के परिणामों को रोकना या कम करना है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन – मई 2024

रिज़र्व बैंक ने 21 मई 2024 को अपने मासिक बुलेटिन का मई 2024 अंक प्रकाशित किया। बुलेटिन में तीन भाषण, चार आलेख और वर्तमान आंकड़े शामिल हैं। चार लेख हैं:

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति

II. विकेन्द्रीकृत वित्त: वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव

III. भारतीय रिज़र्व बैंक का मुद्रा स्वैप: जीएफएसएन में भूमिका और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना

IV. भारत में उपभोक्ता विश्वास: एक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. जारी आंकड़े

मई 2024 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	विषय
1	दिनांक 17 मई 2024, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	अप्रैल 2024 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
3	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – मई 2024
4	मार्च 2024 के लिए ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी संबंधी आंकड़े
5	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – अप्रैल 2024
6	2023-24 की चौथी तिमाही के लिए अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई)

पुनीत पंचोली द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।